

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-06/2016 4464 /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश ज्ञापांक-1234 दिनांक-06.08.18 के आलोक में श्री विजय कुमार सौरभ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कहलगाँव को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कहलगाँव का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(भरत झा)

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-06/2016 4464 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 16/8/18
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/श्री विजय कुमार सौरभ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कहलगाँव/नगर पंचायत, कहलगाँव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अभितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-विशेष सचिव।